



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 399]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 22, 2013/फाल्गुन 3, 1934

No. 399]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 22, 2013/PHALGUNA 3, 1934

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2013

का.आ. 430(अ).—केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्यांक का. आ. 3310, तारीख 15 नवम्बर, 2011 द्वारा जो भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 19 नवम्बर, 2011 में प्रकाशित की गई थी, उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि में जिसका माप 23.831 हेक्टर (लगभग) या 58.886 एकड़ (लगभग) है कोयले के पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी ;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है, कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विहित उक्त भूमि में कोयला अभिप्राप्य है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त भूमि के सभी इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 23.831 हेक्टर (लगभग) या 58.886 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि में या उस पर के सभी अधिकार अर्जन करने की अपने आशय की सूचना देती है ।

टिप्पण 1 : इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्या सी -1(ई) III/एचआर/884-0812, तारीख 21 अगस्त, 2012 को कलेक्टर के कार्यालय, छिन्दवाड़ा में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता - 700 001 के कार्यालय में या महाप्रबंधक, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, (राजस्व विभाग) कोल इस्टेट, सिविल लाईन्स, नागपुर - 440 001 (महाराष्ट्र) के कार्यालय में किया जा सकता है ।

टिप्पण 2 : उक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जो निम्नानुसार उपबंध करता है :-

“अर्जन की बाबत आपत्तियां.

8.(1) कोई व्यक्ति, जो किसी भूमि में, जिसकी बाबत धारा 7 के अधीन अधिसूचना निकाली गई है, हितबद्ध है, अधिसूचना के निकाले जाने से तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण.--इस धारा के अधीन यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी, कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं खनन संक्रियाएं करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम अधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी और सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को स्वयं सुने जाने का या विधी व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझता है, वह या तो धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित भूमि के या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में आपत्तियों पर अपनी सिफारिशों और उसके द्वारा की गई कार्यवाही के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा।

(3) इस धारा के प्रयोजन के लिए वह व्यक्ति किसी भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा जो प्रतिकर में हित का दावा करने का हकदार होता, यदि भूमि या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिए जाते हैं ।”

टिप्पण 3: केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 11 जून, 1983 में प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक का. आ. 2519, तारीख 27 मई, 1983 द्वारा कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता - 700 001 को उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया जाता है।

अनुसूची

नारायणी विवृत्त पेच अम्बाड़ा कोलियरी

कन्हान क्षेत्र

जिला छिन्दवाड़ा (मध्य प्रदेश)

(रेखांक संख्या सी. - I(ई)III/एचआर/ 884 - 0812, तारीख 21 अगस्त, 2012)

सभी अधिकार :

क्रम सं.	ग्राम का नं प	पटवारी सर्किल संख्या	तहसील	जिला	क्षेत्रफल हेक्टर में	टिप्पणियां
1.	इकलहरा	3	परासिया	छिन्दवाड़ा	23.831	भाग

कुल : 23.831 हेक्टर (लगभग)

या 58.886 एकड़ (लगभग)

ग्राम इकलहरा में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक :

628/1, 628/2, 632/1, 632/2, 632/3, 643 (भाग), 644 (भाग), 645, 646, 647, 648/1, 648/2, 649/1, 649/2, 649/3, 649/4, 649/5, 649/6, 650, 651, 653/1, 653/2 (भाग), 654, 655, 656, 657 (भाग), 659/1 (भाग), 659/2, 660/2 (भाग), 661/1 (भाग), 661/3, 663/1 (भाग)।

सीमा वर्णन :

क - ख : रेखा, ग्राम इकलहरा में बिन्दु 'क' से आरंभ होती है तथा प्लॉट संख्यांक 644, 661/3 की बाह्य सीमा से गुजरती है और बिन्दु 'ख' पर मिलती है।

- ख-ग-घ : रेखा, प्लाट संख्या 661/3 की बाह्य सीमा से गुजरती है फिर प्लाट संख्यांक 661/1, 660/2 में से गुजरती है और प्लाट संख्या 659/2 की बाह्य सीमा के साथ आगे बढ़ती है तथा प्लाट संख्यांक 659/1, 657 से होकर जाती है एवं बिन्दु 'ग' में से गुजरती हुई प्लाट संख्या 653/1 की बाह्य सीमा से गुजरती है फिर ग्राम इकलहरा में प्लाट संख्यांक 653/2, 663/1 में से गुजरती है और बिन्दु 'घ' पर मिलती है ।
- घ-ड-च-छ : रेखा, प्लाट संख्यांक 663/1, 653/2, 653/1, 651, 628/1, 628/2 की बाह्य सीमा के साथ जाती है फिर ग्राम इकलहरा में तथा प्लाट संख्या 628/2 की बाह्य सीमा से गुजरती है और बिन्दु 'छ' पर मिलती है ।
- छ - ज : रेखा ग्राम इकलहरा में प्लाट संख्यांक 628/2, 628/1, 649/2-649/4, 632/2, की बाह्य सीमा से गुजरती है और बिन्दु 'ज' पर मिलती है ।
- ज - क : रेखा प्लाट संख्यांक 632/1, 648/2, 647 की बाह्य सीमा के साथ गुजरती है फिर ग्राम इकलहरा में प्लाट संख्यांक 643, 644 में से गुजरती है और आरंभिक बिन्दु 'क' पर मिलती है ।

[फा. सं. 43015/11/2011-पीआरआईडब्ल्यू-1]

वी. एस. राणा, अवर सचिव

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th January, 2013

S.O. 430(E)— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S. O. 3310, dated the 15th November, 2011, issued under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), (hereinafter referred to as the said Act), and published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 19th November, 2011, the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in 23.831 hectares (approximately) or 58.886 acres (approximately) of the land in the locality specified in the Schedule annexed to that notification ;

And whereas the Central Government is satisfied that coal is obtainable in a part of said land specified in the Schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire the land measuring 23.831 hectares (approximately) or 58.886 acres (approximately) and all rights in or over the said described in Schedule appended hereto ;

Note 1: The plan bearing number C-1(E)III/HR/884- 0812, dated the 21st August, 2012 of the area covered by this notification may be inspected in the office of the Collector, Chhindwara (Madhya Pradesh) or in the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata - 700001 or in the office of the General Manager, Western Coalfields Limited (Revenue Department), Coal Estate, Civil Lines, Nagpur - 440 001 (Maharashtra).

Note 2: Attention is hereby invited to the provisions of Section 8 of the said Act which provides as follows :-

“Objections to acquisition.

8.(1) Any person interested in any land in respect of which a notification under section 7 has been issued may, within thirty days of the issue of the notification, object to the acquisition of the whole or any part of the land or of any rights in or over such land.

Explanation .-- It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself desires to undertake mining operations in the land for the production of coal and that such operations should not be undertake by the Central Government or by any other person.

(2) Every objection under sub-section (1) shall be made to the competent authority in writing, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and shall, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as he thinks necessary, either make a report in respect of the land which has been notified under sub-section (1) of section 7 or of rights in or over such land, or make different reports in respect of different parcels of such land or of rights in or over such land, to the Central Government, containing his recommendations on the objections, together with the record of the proceedings held by him, for the decision of that Government.

(3) For the purpose of this section, a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act.”

Note 3: The Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata- 700 001 has been appointed by the Central Government as the competent authority under section 3 of the said Act, vide notification number S. O. 2519, dated the 27th May, 1983, published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, dated the 11th June, 1983.

SCHEDULE

Narayani Opencast Patch Ambara Colliery
Kanhana area
District- Chhindwara (Madhya Pradesh)

(Plan bearing number C-1(E)III/FR/884-0812, dated the 21st August, 2012)

All Rights:

Sl. No.	Mauja/Village	Patwari Circle number	Tahsil	District	Area (in hectares)	Remarks
1.	Eklehra	3	Parasia	Chhindwara	23.831	Part

Total : 23.831 hectares (approximately)
or 58.886 acres (approximately)

Plot numbers to be acquired in village Eklehra :

628/1, 628/2, 632/1, 632/2, 632/3, 643 (Part), 644 (Part), 645, 646, 647, 648/1, 648/2, 649/1, 649/2, 649/3, 649/4, 649/5, 649/6, 650, 651, 653/1, 653/2 (Part), 654, 655, 656, 657 (Part), 659/1 (Part), 659/2, 660/2 (Part), 661/1 (Part), 661/3, 663/1 (Part).

Boundary description:

A - B : Line starts from Point 'A' in village Eklehra and passes along the outer boundary of plot numbers 644, 661/3 and meets at Point 'B'.

B - C - D : Line passes along the outer boundary of plot number 661/3, then passes through plot numbers 661/1, 660/2 and proceeds along the outer boundary of plot number 659/2, then passes through plot numbers 659/1, 657, Point 'C', then proceeds along the outer boundary of plot number 653/1 and proceeds through plot numbers 653/2, 663/1 in village Eklehra and meets at Point 'D'.

D - E - F - G : Line passes along the outer boundary of plot numbers 663/1, 653/2, 653/1, 651, 628/1, 628/2, Point 'F', then outer boundary of plot number 628/2 in village Eklehra and meets at Point 'G'.

G - H : Line passes along the outer boundary of plot numbers 628/2, 628/1, 649/2- 649/4, 632/2 in village Eklehra and meets at Point 'H'.

H - A : Line passes along the outer boundary of plot numbers 632/1, 648/2, 647, then passes through plot numbers 643, 644 in village Eklehra and meets at starting Point 'A'.

[F. No. 43015/11/2011-PRIW-I]

V. S. RANA, Under Secy.